

14/6/17

मसूदा (अजमेर)

वकील वादी एवं पेंसेकार प्रतिवादी से 2 उपस्थित वादी
विद्वान वकील ने दि० 7-12-16 को अदालत बताया कि प्रतिवादी
खेड्या 1 की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें LR प्रतिवादी 1 का
आरोप हेतु जमानत समय दिया गया लेकिन अर्सी 6
माह से अधिक समय निकल जाने के बावजूद LR उपपत्र
पेश नहीं किया है। अदालत में एक मात्र प्रतिवादी 1 ही
पक्षकार था जिसके विरुद्ध रिलीफ चाही जा रही है।
नोट: अदालत 22 जियम 9 जा० की के लखत अदालत पर
कार्रवाई खत ही अदालत हो चुकी है। मितल के फल
शुमार होकर नम्बर से कम है

उपस्थित अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

